

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 37/2017 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा

अपीलान्त

बनाम

1. भीवा पुत्र हरचन्दा कौम कोली निवासी निजामपुरा तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 14(4)

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

निर्णय:-

दिनांक: 09.05.2018



संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा के ख.न. 18 रकबा 55 बीघा 19 बिस्वा मुताबिक रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज थी। उक्त 55 बीघा 19 बिस्वा मे से 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 6.6.1989 को भीवा पुत्र हरचन्दा कौम कोली निवासी निजामपुरा तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा को आवंटन किया गया था। जिसका उपखण्ड अधिकारी लालसोट के आदेश क्रमांक 630 दिनांक 04.10.2012 के द्वारा गैर खातेदारी का नामान्तरकरण आदेश होने पर नामान्तरकरण सं. 184 दिनांक 08.10.2012 को दर्ज कर दिनांक 12.10.2012 को तस्दीक हुआ। जिसका जमाबन्दी में ख.न. 18 का नवीन खसरा नं. 116/18 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा का अंकन किया जाकर बतौर गैर खातेदारी दर्ज की गई। जमाबन्दी सम्बत 2070-73 के खाता सं० 55 पर खसरा नं० 116/18 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि

आवंटी भीवा पुत्र हरचन्दा कौम कोली निवासी निजामपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

अति० जिला कलक्टर

दौसा

गैर खातेदार दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि बंजड-2 है। रिकार्ड पटवारी हल्का दिनांक 22.02.2017 के अनुसार आवंटी मौके पर काबिज नहीं है और आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। ग्राम पालडी स्थित आवंटित भूमि ख.न. 116/18 का आवंटन दिनांक 06.06.1989 को निरस्त कर राजकीय भूमि घोषित करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया तथा राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा स्थित भूमि खं.न. 116/18 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटी भीवा पुत्र हरचन्दा कौम कोली निवासी निजामपुरा तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था। जो आवंटी के नाम गैर खातेदार दर्ज है किन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.02.2017 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है अतः उक्त भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड व मौके की जांच नहीं की गई है। ग्राम पालडी की खसरा नं. 116/18 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा की खसरा गिरदावरी संवत 2071-74 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि पर संवत 2071 में गेहूं वर्ष 2073 में सरसो तथा 2074 में बाजरा की काश्त किया जाना अंकित किया गया है। इस प्रकार आवंटी प्रश्नगत आवंटित भूमि पर काबिज है एवं आवंटन शर्तों की पालना की गई है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2071-74 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि ख.न. 116/18 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा पर संवत 2071 में गेहूं वर्ष 2073 में सरसो तथा 2074 में बाजरा की काश्त किया जाकर कब्जा होना साबित होता है। अतः तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।



प्रति 0 जिला कलेक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 37 / 2017 प्रार्थना पत्र 14(4)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटन आदेश दिनांक 06.06.1989 बहक भीवा पुत्र हरचन्दा कौम कोली निवासी निजामपुरा तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा के विरुद्ध तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

